न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 45/2023
जीसीएमएस नम्बर :: 2023/187

अपीलाण्ट्स :—

1. सोनीबाई पुत्री राजाराम पत्नी स्वरूपरामजी जाति सरगरा निवासी— कूरना, हाल निवासी— इटन्दरा चारणान जिला पाली राज.
2. मगूदेवी पत्नी भानारामजी पुत्री राजारामजी जाति सरगरा निवासी— कूरना, हाल निवासी— बिठुडा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
3. स्व. गजराई पुत्री राजारामजी पत्नी बालारामजी निवासी कूरना के कायम मुकाम:—
   3/1. मोडाराम पुत्र बालारामजी,
   3/2. नाजू पुत्री बालारामजी,
   जातिगण सरगरा, निवासीगण लापोद, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—

1. मृतक पकिया गोदपुत्र राजिया, जाति सरगरा के वारिसान
   1/1. वगदी पत्नी पकाराम निवासी कूरना, तहसील पाली, जिला पाली राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत कूरना तहसील व जिला पाली राज.

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता अर्जुन सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— **30.10.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांक 02.02.1983 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम सोलंकी वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट के पिता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1084 एवं खसरा संख्या 1534 ग्राम कूरना में आई हुई है। अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट संख्या 01, अपीलाण्ट संख्या 02 व अपीलाण्ट संख्या 03 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद तथाकथित गोदीपुत्र पकीया के नाम जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर नामान्तरकरण खारिज करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2022) 11 Supreme Court Cases 520, SC Civil appeal number 32601 of 2018 प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता रेस्पो संख्या 1/1 ने बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ने जैर आराजी को अपने पिता स्व. राजाराम की बताई, जबकि अपीलाण्ट्स ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि अपीलाण्ट्स राजीया पुत्र केसा की जायन्दा पुत्रियां हो। राजीया के कोई जायन्दा पुत्रियां नहीं होने के कारण पकीया को उसके सात वर्ष की उम्र में ही गोद ले लिया था। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत होन के बाद आज तक रेस्पो. ही उक्त जैर आराजी पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग कर रहे है। अपीलाण्ट्स ने एक दावा बंटवाड़ा जायदाद, गोदनामा निरस्ती, बेचाणनामा व स्थाई आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का अपर जिला न्यायाधीश में सन् 2021 में ही पेश किया हुआ है जिससे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की जानकारी सन् 2021 से ही थी व जैर अपील अपीलाण्ट्स द्वारा सन् 2023 में पेश की जो कि पूर्णतया व स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। साथ में धारा 05 मियाद अधिनियम का गलत आवेदन पेश कर झूठा व कपट शपथ–पत्र पेश किया है। जैर आराजी वर्तमान में रेस्पो. संख्या 01 बगदी के नाम नही है, उसकी जमाबन्दी भी पेश नहीं की है और न ही उनको जैर अपील में पक्षकार बनाया गया है जबकि अपर जिला सेशन न्यायालय में उक्त आराजी के मालिक को बतौर पार्टी बनाया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा झुठा व कपट तथ्यों को लेकर जैर अपील पेश की जो मियाद बाहर व सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में पेशसुदा रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील विवादित नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांक 02.02.1983 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट स्वयं द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश पाली में एक दावा बाबत् बंटवाड़ा जायदाद, गोदनामा निरस्ती, बेचाणनामा व स्थाई आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का सन् 2021 में प्रस्तुत किया गया व जिसकी प्रथम पेशी दिनांक 11.11.2021 को थी। उक्त वाद वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया जिसके बिन्दु संख्या 04 व बिन्दु संख्या 06 में अपीलाण्ट ने स्पष्ट रूप से जैर नामान्तरकरण की जानकारी होना व उक्त नामान्तरकरण के आधार पर बेचान होना स्वीकार किया है तथा यह वाद अपीलाण्ट द्वारा ही विरूद्ध रेस्पोडेण्ट प्रस्तुत किया गया था अर्थात् अपीलाण्ट को सचेष्ट रूप से उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2021 यानि कि जैर अपील के दर्ज होने के (वर्ष 2023 से) 02 वर्ष पूर्व भी थी। जैर नामान्तरकरण के स्थान पर जो कि सरसरी, फोरी एवं वित्तीय प्रक्रिया है, साथ ही अपीलाण्ट का स्वत्व को लेकर न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश के यहां वाद विचाराधीन है तो हम इस स्तर पर उक्त नामान्तरकरण को उपरोक्त वर्णितानुसार अवैद्य, कूट एवं फर्जी नहीं मान सकते तथा उपरोक्त वर्णन अनुसार अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2021 से ही होने मियाद कण्डोन किए जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते। अतएव अपीलाण्ट द्वारा वर्णित कथनों एवं उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मियाद को कण्डोन किए जाने के कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक आधार जबकि मियाद करीब 02 वर्ष की सचेष्ट जानकारी की है, उसे कण्डोन किया जाना उचित नहीं समझते। साथ ही अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश के समक्ष जो स्वत्व का वाद प्रस्तुत किया है उसमें बगदी व उसके क्रेतागण को

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

भी पक्षकार बनाया गया है जबकि जैर अपील तथ्यों में सदाशयता के विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मात्र बगदी को ही पक्षकार बनाया है जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुए है। अतः तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम कूरना के विवादित नामान्तरकरण संख्या 1430 दिनांक 02.02.1983 की यह अपील बेरून मियाद होने से खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक **30.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एनं. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner